न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 172/2022

राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एल. एल. ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. रमनदीप सिंह } पिसरान श्री सुखदेव सिंह अकवाम जटसिख साकिन
2. जसप्रीत सिंह } 4 एल. एल. ढींगावाली राठान तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. बिकर सिंह पुत्र स्व. श्री गज्जन सिंह (मृतक)
   3/1– बलजिन्द्र कौर पत्नी
   3/2– गुरमीत सिंह पुत्र
   3/3– कुलविन्द्र कौर पुत्री
   3/4– दलजीत सिंह पुत्र
   } स्व. श्री बिकर सिंह अकवाम जटसिख साकिन ढींगावाली राठान 4 एल. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. रामकुमार पुत्र श्री रतिराम जाति कुम्हार निवासी निवासी 4 एल.एल. ढींगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री दिनेश छाबड़ा	प्रार्थी
2. श्री संजय जनवेजा	अप्रार्थी –1, 2
3. श्री राम कुमार गोस्वामी	अप्रार्थी –3/1 ता 3/4, 4

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 13.09.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] किया कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि वाके चक 6 एल.एल., तहसील [illegible] जिला श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र चक 4 एल.एल., भू.अ.नि.क्षेत्र गोविन्दपुरा का खाता संख्या [illegible] मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में रकबा [illegible] है. दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 त[illegible] के नाम से कृषि भूमि वाके चक 4 एल. एल. तहसील वा जिला श्रीगंगानगर, पटवार क्षेत्र चक 4 एल. एल., भू.अ. नि.क्षेत्र गोविन्दपुरा का संयुक्त खाता संख्या 25/21, मुरब्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 1/2 में 0.025 है. बारानी भूमि अन्य भूमि के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से इसी खाता संख्या 110/82, मुरब्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 1/1 में 0.2280 है. बारानी अन्य भूमि के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:53 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

नाम से खाता संख्या 104/82, मुरब्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 10/2 में 0.177, 11, 12/1 में 0.1270 है. बारानी कुल 0.5570 है. बारानी दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 4 एल.एल., पटवार हल्का चक 4 एल. एल. भू.अ.नि. क्षेत्र गोविन्दपुरा का खाता संख्या 84/85, मुरब्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 15 ता 23 में कुल 2.0240 है. बारानी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्तानुसार मुरब्बा नम्बर 15 का किला नम्बर 1 में 0.025 है. अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से, किला नम्बर 10 व 11 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से एवं किला नम्बर 20, 21 अप्रार्थी संख्या 4 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की उक्त वर्णित कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 6, 7, 15 व 22 का नजरिया ग्राफ नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 6 में अर्सा दराज से चक 4 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की किला लाईन पर से, जो कि मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 से चिपती हुई है, होकर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1/1 से 5/1 में स्वीकृत रास्ता से होकर अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि में आपसी सहमति से चल रहे दो दो बिस्वा से होकर अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 5 में प्रवेश कर रहा है एवं उक्त रास्ता पीछे मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत दो दो बिस्वा रास्ता से आ रहा है एवं आगे मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 5 में स्वीकृत रास्ता में मिलता है लेकिन मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अक्सर परेशानी उठानी पडती है एवं रास्ता अवरूद्ध होने का भय रहता है ऐसी स्थिती में प्रार्थी को अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 6 में आने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की किला लाईन पर से, जो कि मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 से चिपती हुई है, दो दो बिस्वा नया रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है उपरोक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प अपनी भूमि में जाने के लिए रास्ता के तौर पर प्रार्थी को उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने जाने के लिए रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता है इसलिये प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 6 में जाने के लिए उक्त नया रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। कानूनन प्रार्थी को उसकी अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता आने जाने हेतू उपलब्ध करवाया जाना एवं स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है जिसके विकल्प में प्रार्थी अप्रार्थीगण को रास्ता की भूमि की ऐवज में डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अदा करने के लिए तैयार एवं तत्पर है। मौका नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की भूमि में से नया रास्ता स्वीकृत करवाये जाने हेतू मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतू अन्यत्र कोई विधिसम्मत अथवा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 [illegible] कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित डी. एल. सी. दर से दुगुनी राशि [illegible] रूप देने हेतु भी तैयार व तत्पर है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को [illegible] जाकर निवेदन किया कि वे तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 4 [illegible] पटवार क्षेत्र 4 एल.एल., भू.अ. नि. क्षेत्र गोविन्दपुरा के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 से चिपती किला लाईन पर दो दो बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करवाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लेवें जिससे कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 6 में प्रवेश करने हेतू सुगम, सुविधाजनक एवं एकमात्र विकल्प के तौर पर स्वीकृत रास्ता उपलब्ध हो सके एवं इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हेतु प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की भूमि की पूर्ति डी. एल. सी. दर की दुगुनी राशि से करने हेतू भी तैयार व तत्पर है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा ऐसा करने से दिनांक 31.10.2022 को कतई इन्कार कर दिया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की उक्त इन्कारी से ही प्रार्थी को मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतूक उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 से भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर उक्त रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत करने का निवेदन किये जाने पर उनके द्वारा माननीय से आदेश लाने का कहे जाने पर प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 5 के खिलाफ भी वाद हेतूक प्राप्त हुआ है। मौका पर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 4 एल.एल., पटवार क्षेत्र 4 एल.एल., भू.अ.नि.क्षेत्र गोविन्दपुरा के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 से चिपते किला लाईन पर दो दो बिस्वा रास्ता चालू है जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में आ जा रहा है। अप्रार्थीगण के द्वारा रास्ता स्वीकृत करवाने से इन्कार करने के साथ साथ ऐलानिया धमकी दी है कि यदि प्रार्थी के द्वारा रास्ता स्वीकृत करवाने की कोई कार्यवाही की गयी तो वे चालू रास्ता को अवरोधित कर बन्द कर देंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक मन्सूबे में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं प्रार्थी अपनी भूमि में आने जाने से वंचित हो जायेगा तथा काश्त नहीं कर पायेगा। चूंकि प्रार्थना पत्र के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिये प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक चालू रास्ता को अप्रार्थीगण अवरोधित ना करें, प्रार्थी इस आशय की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद एक रूपये की उचित कोर्टफीस पर प्रस्तुत है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से उपरोक्तानुसार अंकित कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 4 एल.एल., पटवार क्षेत्र 4 एल.एल., भू.अ.नि.क्षेत्र गोविन्दपुरा के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 से चिपते किला लाईन पर दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रिकॉर्ड में खोला जावे जिससे कि प्रार्थी अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 6 में प्रवेश कर सके। प्रार्थी विकल्प में भूमि की पूर्ति डी. एल. सी. दर की दुगुनी राशि से करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। प्रार्थी एवं **अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार** उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र में प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकारान एक ही गांव होने के कारण गांव के मौतबिरान व नजदीकी रिश्तेदारो के द्वारा लोक अदालत की भावना [illegible] राजीनामा करवा दिया है। जो निम्न प्रकार से है :– [illegible] भू.अभि. क्षेत्र तहसील श्रीगंगानगर के चक 4 एल.एल. के पटवार हल्का [illegible] गोविन्दपुरा के मुरब्बा नं. 15 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में मुरब्बा न. 7 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 के साथ चिपते किला लाईन पर [illegible] बिस्वा रास्ता दिया गया है जो पक्षकारान बिना किसी विधन के रास्ता का उपयोग व उपभोग कर रहे है । रास्ता की भूमि के ऐवज में अप्रार्थी के द्वारा तयशुद्धा राशि प्राप्त कर ली है। अतः यह राजीनामा पक्षकारान ने अपनी सहमति से मय होश हवास बिना नशा पता बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है ताकि सन्नद रहे व वक्त जरूरत काम आवे ।

[illegible]अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 3/1 ता 3/4 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी को उक्त रकबा में से रास्ता स्वीकार कर दिया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नहीं है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा, प्रार्थी से उक्त रास्ता की ऐवज में डी. एल. सी. की दुगुनी राशि प्राप्त कर ली है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि में से अपने रकबा में आ जा रहा है परन्तु अन्य तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किये हैं वह स्वीकार नहीं है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया जाता है तो मिन अप्रार्थीगण पूर्णतया सहमत है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

– :: आदेश ::–

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत आपसी सहमति है अतः प्रकरण को आज राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णय किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील श्रीगंगानगर के चक 4 एल.एल. के पटवार हल्का क्षेत्र 4 एल.एल. भू.अभि. क्षेत्र गोविन्दपुरा के मुरब्बा नं. 15 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 के साथ चिपते किला लाईन पर 1–1 बिस्वा(प्रत्येक किला में) बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर की राशि पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है। इसलिए प्रतिकर देय नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.09.2025 में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:11:53 IST
Reason: SelfAttested

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड सहायक कलेक्टर (राज.)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner